निर्णय ब इजलास अन्तर सिंह नेहरा आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जयपुर

प्रकरण संख्या 93/2021 (मुन्तकिल प्रार्थना पत्र)

1. विनोद कुमार पुत्र भगवान सहाय
2. हनुमान पुत्र भगवान सहाय

समस्त जाति जाट, निवासी नेकावाला, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर ।

प्रार्थी

बनाम

1. श्री विश्वामित्र मीणा आर ए एस पीठासीन अधिकारी उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ जिला जयपुर।
2. सेडी पत्नी रामकुवार
3. गंगाराम पुत्र मुरलीधर
4. कानाराम पुत्र मुरलीधर
5. मुन्नी पत्नी चतुर्भुज
6. सुमित पुत्र चतुर्भुज
7. समून्द्र पुत्र चतुर्भुज
8. राजेश पुत्र चतुर्भुज

समस्त जाति मीणा, निवासी ग्राम गठवाडी, तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर।

अप्रार्थीगण

मुन्तकिल प्रार्थना पत्र बाबत उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ के समक्ष विचाराधीन प्रकरण संख्या 458/2015 ब उनवानी राजस्थान सरकार बनाम सेडी व अन्य को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने बाबत।

उपस्थितः—

1. श्री बंशीधर जाट अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से ।
2. श्री सत्यनारायण शर्मा अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 2, 3 व 4 की ओर से ।

निर्णय दिनांक 23.12.2022

1. संक्षेप में मुन्तकिल प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ के समक्ष प्रकरण संख्या 458/2015 ब उनवानी सरकार बनाम सेडी व अन्य विचाराधीन है। जिसमें पीठासीन अधिकारी से न्याय मिलने में शंका जाहिर कर उक्त प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में अन्तरण किये जाने का अनुरोध किया है।

कलक्टर
जयपुर

२ प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़ से बिन्दुवार टिप्पणी तलब की गई। अप्रार्थी संख्या 2, 3 व 4 की ओर से अधिवक्ता श्री सत्यनारायण शर्मा उपस्थित है।

३. बहस उभय पक्ष सुनी गई।

४. प्रार्थी अधिवक्ता ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि उक्त प्रकरण में लिखित बहस प्रस्तुत की जा चुकी है । पूर्व में भी कई बार मौखिक बहस की गई, परन्तु पीठासीन अधिकारी द्वारा निर्णय पारित नहीं किया गया। विपक्षीगण पीठासीन अधिकारी से मिले हुये है तथा प्रकरण में निर्णय पारित नहीं किया जा रहा है। दिनांक 22.06.2021 व दिनांक 30.06.20212 को अप्रार्थी संख्या 2 के पति रामकुमार पीठासीन अधिकारी संख्या 1 के चैम्बर में बैठ कर बातचीत कर रहे थे कुछ समय पश्चात बाहर आ कर ये यह कहा कि आप कुछ भी कर लो फैसला हमारे पक्ष में ही होगा। अप्रार्थी संख्या 1 से प्रार्थी को निष्पक्ष न्याय निर्णय की आशा नहीं है इस कारण प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरित किया जाना आवश्यक है। उक्त प्रकरण में अप्रार्थी संख्या 1 बिना कोई न्यायिक विवेक लगाये अप्रार्थीगण के पक्ष में फैसला करने पर आमादा है जिससे प्रार्थी को अधीनस्थ न्यायालय से न्याय की उम्मीद नहीं है। न्याय की मंशा है कि न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन होते हुये प्रार्थी को ऐसा प्रतीत होना भी आवश्यक है कि उसे न्याय प्राप्त होगा। इसी सन्दर्भ में राजस्व मण्डल एवं उच्च न्यायालय ने अपने अनेकों निर्णयो में यही प्रतिपादित किया है कि जब परिवादी को न्याय प्राप्त नहीं होने की आशंका हो तो ऐसी स्थिति में प्रकरण को अन्य न्यायालय में स्थानान्तरित किया जाना अत्यन्त आवश्यक है। अतः उक्त लगवानी प्रकरण को अन्य सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने का आदेश फरमावें।

5. अप्रार्थी अधिवक्ता ने उक्त तर्कों का खण्डन करते हुये दलील प्रस्तुत की कि प्रार्थीगण ने प्रकरण के निस्तारण में विलम्ब किये जाने की मन्शा से यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र पेश किया है जो खारिज किये जाने योग्य है। यदि फिर भी अन्यत्र न्यायालय में प्रकरण का स्थानान्तरण किया जाता है तो एक तारीख निश्चित करके अन्य किसी न्यायालय में स्थानान्तरण कर दिया जावे।

उभय पक्ष के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया।

7. यद्यपि उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़ ने अपनी टिप्पणी में प्रार्थी द्वारा मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में लगाये गये आरोपों का खण्डन किया है किन्तु प्रार्थी ने पीठासीन अधिकारी से न्याय मिलने में शंका जाहिर की है। न्याय का नैसर्गिक सिद्धान्त है कि न्याय किया जाना ही आवश्यक नहीं है, बल्कि न्याय किया गया है, ऐसा लगना भी चाहिये। न्याय की इसी भावना को मद्देनजर रख कर मुन्तकिल प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रकरण अन्य न्यायालय में मुन्तकिल किया जाना न्याय संगत है। फलस्वरूप मुन्तकिल प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

जिला कलेक्टर
जयपुर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ के समक्ष विचाराधीन प्रकरण संख्या 458/2015 ब उनवानी सरकार बनाम सेडी व अन्य को उपखण्ड अधिकारी आमेर मे मुन्तकिल किया जाता है।

पक्षकारान न्यायालय सहायक कलक्टर जयपुर प्रथम के समक्ष सुनवाई हेतु दिनांक 17.01.2021 को उपस्थित हो। उपखण्ड अधिकारी आमेर प्रथम प्रकरण दर्ज कर उभयपक्ष को गुणावगुण एवं मैरिट पर सुन कर निस्तारण करे।

निर्णय की प्रति पालनार्थ हस्ब कायदा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ एवं उपखण्ड अधिकारी आमेर को प्रेषित हो। पत्रावली नम्बर से कम हो कर शुमार फैसल हो।

निर्णय आज दिनांक 23.12.2021 को सरे इजलास सुनाया गया ।

23/12/21

(अन्तर सिंह नेहरा)
जिला कलक्टर
जयपुर